ग्राम पंचायत काकरान

बनाम

अतिरिक्त निदेशक समेकन और एक अन्य

3 अक्टूबर, 1997

[सुजाता वी. मनोहर और डी. पी. वाधवा, जे.जे.]

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 : धाराएँ 19 ,20, 21 और 42

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949:

नियम 16 (ii) और 18 - दूसरा परंतुक - अधिनियम के तहत प्रभावी योजना और पुनर्विभाजन - चुनौती - परिसीमा अवधि - दुसरे प्रतिवादी के पिता की शुद्ध पात्रता 1956 में समेकन कार्यवाही में निर्धारित की गई -दूसरे प्रतिवादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई - 1996 में दूसरे प्रतिवादी द्वारा विभाजन को फिर से खोलने के लिए आवेदन - अवर निदेशक समेकन द्वारा आवेदन स्वीकार किया गया - अपीलकर्ता ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई ख़ारिज की गई - अतः यह अपील - अभिनिर्धारित, भले ही नियम 18 सीधे

आकर्षित नहीं हुआ था, आवेदन उचित समय के भीतर दायर किया जाना चाहिए था - इस मामले में 40 साल की अत्यधिक देरी की संतोषजनक रूप से व्याख्या नहीं की गई - इसलिए दूसरे प्रतिवादी का आवेदन सम्पोश्नीय नहीं थी।

जगतार सिंह बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स का समेकन, जालंदर, एआईआर (1984) पी.बी. हरियाणा 216, संदर्भित।

ग्राम पंचायत, ग्राम कनोंडा बनाम निदेशक, होल्डिंग्स का समेकन, (1989) पूरक 2 एस. सी. सी. 465, भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 7221/ 1997

सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 10741/ 1996 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 3.12.96 से।

आर. के. कपूर, (एस. के. श्रीवास्तव) अनीस अहमद खान के लिए, अपीलार्थी की ओर से।

ए. वी. पल्ली सुश्री रेखा पल्ली के लिए, प्रतिवादियों के ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

विशेष अवकाश स्वीकार किया गया।

अपीलार्थी ग्राम पंचायत गाँव काकरान है। ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम 1948 के तहत वर्ष 1956 में हुई समेकन कार्यवाही में, दूसरे प्रतिवादी के पिता संघा सिंह की शुद्ध पात्रता 152-14-9 पाई के मूल्य की मानी गई थी और सामान्य प्रयोजन के लिए 3-4-3 पाई के मूल्य की कटौती करने के बाद, उन्हें 149-10-6 पाई भूमि आवंटित की गई। संकल्प संख्या 120, जो 16.6.56 दिनांकित है, अधिनियम की धारा 20 के तहत समेकन योजना की पुष्टि करता है। इस तरह की पुष्टि से पहले, धारा 19 के तहत मसौदा योजना को प्रकाशित करना आवश्यक है और आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए जिन पर धारा 19 में निर्धारित समय के भीतर विचार किया जाना है। इसके बाद धारा 20 के तहत, आपत्तियों पर विचार करने के बाद, अंतिम योजना की पुष्टि करनी होगी। धारा 21 के तहत समेकन अधिकारी को समेकन की योजना के अनुसार उसमें निर्धारित तरीके से पुनर्विभाजन करना आवश्यक है। धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत विभाजन से व्यथित कोई भी व्यक्ति समेकन अधिकारी के समक्ष प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर लिखित आपत्ति दर्ज करने का हकदार है। धारा 21 के तहत अपील के लिए और प्रावधान हैं। धारा 42 के तहत, राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी द्वारा तैयार की गई या पुष्टि की गई या पुनर्विभाजन की गई किसी भी योजना को उसकी वैधता या औचित्य की जांच करने के उद्देश्य से कॉल करने की शक्ति दी गई है।

धारा में प्रावधान है कि यह कार्य राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। वर्तमान मामले में धारा 21 के तहत कोई आपत्ति दूसरे प्रतिवादी के पिता द्वारा दायर नहीं की गई है जो उस समय जीवित थे। हालाँकि, 40 वर्षों के बाद, वर्ष 1996 में दूसरे प्रतिवादी ने धारा 42 के तहत पुनर्विभाजन को फिर से खोलने के लिए इस आधार पर एक आवेदन किया कि उसकी भूमि से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए थी और सामान्य उद्देश्यों के लिए उसकी भूमि से कोई कटौती नहीं होनी चाहिए थी। इस आवेदन पर विचार किया गया है और अतिरिक्त निदेशक, समेकन ने दिनांक 23.5.96 को एक आदेश पारित किया गया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि बचत भूमि का एक हिस्सा दूसरे प्रतिवादी को दिया जाए। वर्तमान अपीलार्थी-ग्राम पंचायत द्वारा दायर रिट याचिका को ख़ारिज कर दी गई। अतः हमारे समक्ष वर्तमान अपील पेश की गई है।

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) नियम, 1949 का नियम 18 निर्धारित करता है कि धारा 42 के तहत एक आवेदन उस आदेश की तारीख के छह महीने के भीतर किया जाएगा जिसके खिलाफ इसे दायर किया गया है। उस नियम के दूसरे परंतुक के तहत, परीसीमा अवधि के बाद आवेदन को स्वीकार करने की शक्ति है, जिसमें आवेदक द्वारा अधिकारियों को संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है। दूसरे प्रतिवादी ने जगतर सिंह बनाम अतिरिक्त निदेशक,

होल्डिंग्स का समेकन, जालंदर, ए. आई. आर. बी. (1984) पी. बी. और हरियाणा 216 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैंसले पर भरोसा किया है। इस फैंसले में, उच्च न्यायलय ने अभिनिर्धारित किया था कि नियम 18 के तहत निर्धारित अवधि केवल उन आदेशों के संबंध में लागू होगी जो अधिनियम के तहत पारित किए गए हैं और अधिनियम के तहत लागू की गई किसी योजना या पुनर्विभाजन के लिए इसका कोई आवेदन नहीं होगा।

हालाँकि, इसे उस पक्ष को सक्षम बनाने के रूप में नहीं समझा जा सकता है जो योजना से या विभाजन से व्यथित है और अनुचित रूप से लंबे समय के बाद धारा 42 के तहत आवेदन कर सकता है। यहां तक कि जहां सीमा की कोई अवधि निर्धारित नहीं है, वहां भी पीड़ित पक्ष को उचित समय के भीतर राहत के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का रुख करना आवश्यक है। वास्तव में यह न्यायालय में ग्राम पंचायत ग्राम कनोंडा बनाम निदेशक, होल्डिंग्स का समेकन, [1989] पूरक 2 एस. सी. सी. 465 में मामले में नियम 18 से संबंधित यह कहा कि जब योजना की पुष्टि से संबंधित धारा 42 के तहत आवेदन के लिए कोई परीसीमा निर्धारित नहीं है, तो आवेदन उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए और इस प्रश्न का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए। उस मामले में पंचायत द्वारा धारा 42 के तहत आवेदन दायर करने में लगभग 3 साल और 8 महीने की देरी को अनुचित नहीं माना गया था। वर्तमान मामले में, हालांकि, देरी

40 साल की है। हमने दूसरे प्रतिवादी से यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या इस अनुचित और अत्यधिक देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण है। लेकिन धारा 42 के तहत आवेदन करने में इस अत्यधिक देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रतीत नहीं होता है। एकमात्र विवाद जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हमारे समक्ष तर्क दिया गया है, वह नियम 18 के अनुप्रयोग से संबंधित है और उसमें निर्धारित सीमा की अवधि लागू नहीं होती है जहां चुनौती समेकन योजना और पुनर्विभाजन के लिए है। लेकिन भले ही नियम 18 प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित न हो, लेकिन इस तरह की अत्यधिक देरी के बाद किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। द्वितीय प्रतिवादी द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलकर्ताओं को रिट याचिका में अतिरिक्त निदेशक समेकन के आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विचाराधीन भूमि स्वामित्व निकाय के नाम पर बनी हुई है। उसने उक्त नियमों के नियम 16 (ii) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। हालांकि, नियम 16 (ii) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि ऐसी भूमि का प्रबंधन ग्राम स्वामी पक्ष की ओर से संबंधित संपदा या संपदा की पंचायत द्वारा किया जाएगा और पंचायत को आय और संबंधित संपदा या संपदा के लाभों का उपयोग करना होगा।यहाँ तक कि अतिरिक्त निदेशक के समक्ष अपीलार्थियों को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया था। इसलिए इस तर्क में कोई गुणनहीं है।

इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है और तदनुसार रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है, कोई लागत नहीं।

टीएनए।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।